



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122021-231977
CG-DL-E-18122021-231977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4901]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4901]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5292(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य के किमी. 0.000 किमी. से 28.140 किमी. सरहिंद से मोहाली तक (ग्रीनफील्ड) आईटी सिटी जंक्शन से कुराली रोड को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205-ए के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छे लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में सरहिंद से मोहाली तक (ग्रीनफील्ड) आईटी सिटी जंक्शन से कुराली रोड को जोड़ते हुए किमी. 0.000 किमी. से 28.140 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205-ए तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	फतेहगढ़ साहिब	1 आदमपुर (147)

	फतेहगढ़ साहिब	NH205A के कि.मी. 0 से 20.2 तक			
--	---------------	-------------------------------------	--	--	--

[फा. सं. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5292(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 28.140 of the (NH-205-A) Sirhind to Mohali Greenfield Connectivity with IT City Junction to Kurali Road for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of PUNJAB.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 205-A from Km. 0.000 to Km. 28.140 of Sirhind to Mohali Greenfield Connectivity with IT City Junction to Kurali Road in the State of PUNJAB.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Fatehgarh Sahib	0KM To 20.2KM	PUNJAB	FATEHGARH SAHIB	Fatehgarh Sahib	1 Adampur (147)

[F. No. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369)]

RAJESH GUPTA, Director